कुणाल सिल्कू
विशेष सचिव।

अर्द्धशा0प0सं0– 1488/36–2–2023
उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–2
लखनऊ, दिनांकः 26 अक्टूबर, 2023

महोदय,

प्रदेश में स्थापित 06 औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं 20 श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, चयन वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2023 तक की रिक्ति के सापेक्ष किया जाना है। उक्त चयन मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार की गयी सूची के माध्यम से किया जाना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4–E में मा0 समिति के गठन का प्राविधान निम्नवत है :–

1. मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नामित दो न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायाधीश चयन समिति का अध्यक्ष होगा)
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
3. प्रमुख सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
6. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर — सदस्य
7. सदस्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज — सदस्य

2– चयन वर्ष 2022–23 में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों का आरक्षण के अनुसार विवरण निम्नवत है :–

औद्योगिक न्यायाधिकरण (कुल स्वीकृत पद 06)

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
अनु0जाति	01	01 (गैर न्यायिक)	00
अनु0 जनजाति	00	00	00
अन्य पि0वर्ग	01	00	01 (न्यायिक)
सामान्य	04	01 (न्यायिक)	03 (01–न्यायिक एवं 02 गैर न्यायिक)
कुल पद	**06**	**02**	**04**

श्रम न्यायालय (कुल स्वीकृत पद 20)

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
अनु0जाति	04	03 (01 न्यायिक एवं 02 गैर न्यायिक)	01 (01 न्यायिक)
अनु0 जनजाति	00	00	00
अन्य पि0वर्ग	05	03 (02 न्यायिक एवं 01 गैर न्यायिक)	02 (01 न्यायिक एवं 01 गैर न्यायिक)
सामान्य	11 (5+6)	05 (01 न्यायिक एवं 04 गैर न्यायिक)	06 (04 न्यायिक एवं 02 गैर न्यायिक)
कुल पद	**20**	**11**	**09**

3– इस संबंध में आपको यह अवगत कराने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि चयन वर्ष 2022–23 में दिनांक 30.06.2023 तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों के न्यायिक सेवा के पदों हेतु सेवारत/सेवानिवृत्त, मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायाधीशगण/उच्चतर न्यायिक सेवा व राज्य न्यायिक सेवा के इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पत्र तथा श्रम न्यायालयों के न्यायिक सेवा के पदों हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा व राज्य न्यायिक सेवा के इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10.11.2023 तक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में इच्छुक मा0 न्यायाधीशगण/न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सहमति प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र, उनकी 10 वर्षों की चरित्र पंजी तथा सहित सेवा विवरण निर्धारित अवधि के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय,

26/10/23

(कुणाल सिल्कू)

श्री कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी,
संयुक्त रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल)(सर्विसेज)
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।